तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय ...	हुक्म की तामील
[illegible]	पत्रावली पेश। वकील प्रार्थी उप० आये। प्रार्थी का प्रा० पत्र खारिज किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखा जाकर पत्रावली शामिल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार के नम्बर में कम होकर पत्रावली 9/3 के साथ संलग्न रहे।	

सहायक कलक्टर (फा०ट्रै०)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

न्यायालय सहायक कलक्टर मुण्डावर, खैरथल तिजारा, राज0

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती सृष्टि जैन, (आर.ए.एस)

प्रार्थना पत्र संख्या	दायर दिनांक	आदेश दिनांक
229/2025	19.09.2025	24.03.2026

बउनवान

1. बाबूलाल पुत्र नेमीचन्द जाति महाजन निवासी सोडावास तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।

:– प्रार्थी

बनाम

1. प्रकाश पुत्र बनवारी जाति गुर्जर निवासी तेजपुरा तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
2. धन्ना देवी पत्नी बनवारी जाति गुर्जर निवासी तेजपुरा तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
3. सरोज पुत्री बनवारी जाति गुर्जर निवासी तेजपुरा तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
4. शारदा पुत्री बनवारी जाति गुर्जर निवासी तेजपुरा तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
5. रामेश्वर पुत्र प्रभाती जाति गुर्जर निवासी तेजपुरा तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
6. रामनिवास प्रभाती जाति गुर्जर निवासी तेजपुरा तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
7. जगदीश पुत्र प्रभाती जाति गुर्जर निवासी तेजपुरा तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
8. रामशरण उर्फ सरला जाति गुर्जर निवासी तेजपुरा तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
9. रोहिताश पुत्र प्रभाती जाति गुर्जर निवासी तेजपुरा तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
10. सहायक अभियन्ता जयपुर विधुत वितरण नि0 लि0 शाखा सोडावास तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
11. कनिष्ठ अभियन्ता जयपुर विधुत वितरण नि0 लि0 शाखा सोडावास तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।

–: अप्रार्थीगण

उपस्थित :–

श्री सरजीत चौधरी –: प्रार्थी अधिवक्ता
श्री गंगाराम पटेल –: अप्रार्थी अधिवक्ता

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

सहायक कलक्टर (फा0ट्रे0)
मुण्डावर (खैरथल–तिजारा)

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि :–

1. यह है कि उपरोक्त अनुवानी वाद अदालत श्रीमान के समक्ष विस्तृत वाकेयात के साथ पेश किया जा रहा है। जिसमें में मिन प्रार्थी को कामयाबी की पूरी पूरी आशा है।
2. यह है कि उपरोक्त अनुवानी वाद के साथ मिन प्रार्थी द्वारा दस्तावेजात व शपथ पत्र पेश किया गया है। जिससे प्रार्थी का केस प्रायमा फैसाई आयद वो साबित है।
3. यह है कि उक्त विवादित आराजी ख0न0 227 रकबा 0.67 है0, 229 रकबा 0.85 है0, 230 रकबा 0.05 है0, 231 रकबा 0.61 है0, 232 रकबा 0.59 है0 मिन प्रार्थी व अन्य सहखातेदारान के नाम राजस्व रिकॉड में हिस्सेनुसार दर्ज है तथा मिन प्रार्थी व अन्य सहखातेदारान वाद में वर्णीत आराजी पर अपने अपने हिस्सेनुसार काचिज काश्त है तथा मिन प्रार्थी का सहखातेदारान से कोई विवाद नही है। इसलिए सहखातेदारान को प्रार्थना पत्र में पक्षकार नहीं बनाया गया है।
4. यह है कि मिन प्रार्थी व अन्य सहखातेदारान वाके ग्राम सोडावास तह0 मुण्डावर के रहने वाले है तथा आराजी वाके ग्राम तेजपुरा तह0 मुण्डावर में स्थित है तथा अप्रार्थी स0 1 ल0 9 भी वाके ग्राम तेजपुरा तह0 मुण्डावर के रहने वाले है तथा अप्रार्थी स0 1 ल० 9 की आराजी भी वाके ग्राम तेजपुरा तह० मुण्डावर में स्थित है।
5. यह है कि अप्रार्थीगण स0 1 ल0 9 की आराजी पर अर्सा दराज यानि करीब 40 सालों से कृषि विद्युत लाईन 11 हजार वोल्ट की खीची हुयी है, लेकिन अब अप्रार्थी स0 1 ल0 9, अप्रार्थी स0 10 व 11 से साजबाज होकर मिन प्रार्थी के दिगर गांव सोडावास का बेजा फायदा उठाकर, पूर्व से जारी कृषि विधुत लाईन 11 हजार वोल्ट की लाईन को निन प्रार्थी के हिस्से की आराजी में ट्रांसफर करवाने पर उतारू हो रहे है तथा अप्रार्थी स0 10 व 11 को भी पूर्व से जारी विधुत लाईन को दिगर की आराजी में शिफट करने का कोई हक व अधिकार नहीं है। लेकिन अप्रार्थी जाति गुर्जर के है, जो मिन प्रार्थी के हिस्से की आराजी पर कब्जा कर, कुडी वगै0 भी डाल देते हैं।
6. यह है कि अब दिनांक 15/9/2025 को अप्रार्थी स0 10 व 11 के मातहत मिन प्रार्थी की आराजी पर जबरन पोल रोपने हेतु गड्डे खोदना चालु किया, जिसकी जानकारी मिन प्रार्थी को होने पर मिन वादी ने मोका पर जाकर, अप्रार्थी स0 10 व 11 के मातहत को मना किया तो प्रतिवादी स० 10 व 11 के मातहत ने धमकी दी है कि हम तुम्हारी आराजी में से विधुत पोल रोपकर पूर्व से जारी 11 हजार वोल्ट की विद्युत लाईन को शिफ्ट करके रहेगे, तुम्हे जो करना हो कर लेना। बस यही वाद हेतु बिनायदावी व बिनायमुखास्गत पैदा होती है। यदि वाकई अप्रार्थीगण अपने इन बेजा नापाक इरादो में कामयाब हो गये तथा विवादित आराजी पर जबरन विधुत लाईन शिफट कर दी तो मिन प्रार्थी को नापूर्ती होने वाली क्षति होगी, चूँकि मिन प्रार्थी के अधिकार कानून द्वारा रक्षित है। इसलिए मिन प्रार्थी अपने हक व अधिकारों की रक्षार्थ अप्रार्थी को हु० ई० दवानी से पाबन्द कराने के अधिकारी है।

सहायक कलक्टर (फा०ट्रे०)
मुण्डावर (खैरथल-बिजारा)

7. यह है कि प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का सन्तुलन व नापूर्ती होने वाली क्षति बहक मिन प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थीगण आयद वो साबित है।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के माध्यम से अनुतोष चाहा गया है कि :–

अतः अदालत श्रीमान के समक्ष प्रार्थना पत्र पेशकर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर, अप्रार्थीगण को ताःफैसला दावा स्थाई निषेधाज्ञा से पाबुन्द किया जावे कि वो आराजी हाल ख0न0 227 रकबा 0.67 है0, 229 रकबा 0.85 है0, 230 रकबा 0.05 है0, 231 रकबा 0.61 है0, 232 रकबा 0.59 है0, 224 रकबा 1.50 है0, 228 रकबा 0.06 है0, वाके ग्राम तेजपुरा तह0 मुण्डावर पर जबरन कोई विधुत पोल नही रोपे, ना ही कोई 11 हजार वोल्ट की विधुत लाईन शिफट करे, ना ही मिन प्रार्थी की आराजी पर कब्जा करे, ना ही प्रार्थी के काश्त कार्य व उपयोग उपभोग में मजाहमत पैदा करे व मौका की यथास्थिति बनाये रखे।

जवाब प्रार्थना पत्र ओदश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 जा0 दी0 व धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मिन अप्रार्थी सं0 1 ल0 9 की ओर से निम्न प्रकार पेश है :–

1. यह है कि प्रार्थना पत्र का जिम्मन नं० 1 बाबत प्रार्थना पत्र है, गलत है, प्रार्थी को कामयाबी की आशा नहीं रखनी चाहिए।
2. यह है कि प्रार्थना पत्र का जिम्मन नं0 2 गलत है, स्वीकार नहीं है, प्रार्थी ने दस्तावेज गलत पेश किये है, तथा शपथ पत्र भी गलत है, प्रार्थी का केश प्रायमा फैसाई साबित नहीं होता है।
3. यह है कि प्रार्थना पत्र का जिम्मन नं0 3 इतना स्वीकार है कि विवादित आराजी वाके ग्राम तेजपुरा तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राजस्थान में स्थित है। अगर प्रार्थी के अलावा कोई दीगर हिस्सेदार आराजी में सामिल है तो प्रार्थी अगर हु० ई० दवामी का अनुतोष प्राप्त कर रहा है किस हिस्से पर प्रार्थी काबिज है और किस हिस्से का अनुतोष प्राप्त कर रखा है साबित नहीं है बिना हिस्सेदारान को पक्षकार बनाये साबित नहीं है इसलिये प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है।
4. यह है कि प्रार्थना पत्र का जिम्मन नं0 4 इतना स्वीकार है कि मिन अप्रार्थी सं0 1 ल0 9 ग्राम तेजपुरा के रहने वाले है।
5. यह है कि प्रार्थना पत्र का जिम्मन नं0 5 गलत है स्वीकार नहीं है। मिन अप्रार्थी की आबादी भूमि है जायदाद है तथा आबादी में रिहायसी मकान बने हुये है मिन अप्रार्थी ने रिहायस कर रखी है जिस रिहायसी मकान के ऊपर से 11 हजार केवी की लाईन जा रही है उस लाईन को शिफ्ट करने का नियमानुसार प्रकिया अप्रार्थी सं0 10 व 11 के यहां प्रक्रियाधीन है तथा प्रार्थी की आराजी में पूर्व से विधुत ट्रांसफार्मर जारी है लगा हुआ है तथा कोई नया ट्रांसफार्मर नहीं लगाया जा रहा है तथा ना ही प्रार्थी की आराजी के ऊपर से कोई विधुत लाईन शिफ्ट की जा रही है प्रार्थी की आराजी में पहले से विधुत लाईन और ट्रांसफार्मर लगे हुये है। जो मिन अप्रार्थी की रिहायसी दिवार के साथ में है और मिन अप्रार्थी की आबादी भूमि के ऊपर से ही विधुत लाईन प्रस्तावित है शिफ्ट होनी है, प्रार्थी को मिन अप्रार्थी के

सहायक कलक्टर (फ़ा०ट्रे०)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

द्वारा रिहायसी मकान के उपर से जा रही 11 हजार केवी लाईन की शिफ्ट होने से कोई नुकसान नहीं है लेकिन प्रार्थी ने बेवजह मिन अप्रार्थी को परेशान करने की नियत से प्रार्थना पत्र पेश किया है जो काबिल खारिज है।

6. यह है कि प्रार्थना पत्र का जिम्मन नं0 6 गलत है स्वीकार नहीं है। प्रार्थी की आराजी में कोई पोल नहीं गाडा है पूर्व से पोल लगे हुये है प्रार्थी को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान उक्त विधुत शिफ्टिंग से नहीं हो रहा है जिस कारण प्रार्थी कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।
7. यह है कि प्रार्थना पत्र का जिम्मन नं0 7 गलत है स्वीकार नहीं है। प्रार्थी को उक्त प्रार्थना पत्र में कोई सुविधा का सन्तुलन व नापूर्ती होने वाली क्षति कारित नहीं होती है। प्रार्थी ने मिन अप्रार्थीगण को तंग व परेशान करने की नियत से उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है जो चलने योग्य नहीं है काबिल खारिज है खारिज फरमाया जावे।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेशकर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे। श्रीमानजी की महति कृपा होगी।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अभिलेखों का अवलोकन किया गया तथा दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की संक्षिप्त बहस सुनी गई।

प्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी खसरा नं. 227, 229, 230, 231, 232 आदि पर उसका खातेदारी हक है तथा वह काश्तकार है। अप्रार्थीगण द्वारा विद्युत विभाग के साथ मिलकर जबरन 11 केवी विद्युत लाइन को उसकी भूमि में स्थानांतरित करने एवं पोल लगाने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे उसे अपूरणीय क्षति होने की संभावना है।

वहीं, अप्रार्थीगण का यह प्रतिवाद है कि संबंधित विद्युत लाइन पूर्व से स्थापित है तथा प्रस्तावित शिफ्टिंग उनकी आबादी भूमि/रिहायसी क्षेत्र से संबंधित है। प्रार्थी की भूमि में कोई नई लाइन या पोल स्थापित नहीं किए जा रहे हैं। साथ ही यह भी तर्क दिया गया कि प्रार्थी ने अन्य सहखातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया है, जिससे वाद त्रुटिपूर्ण है।

विवेचना :—

अस्थाई निषेधाज्ञा प्रदान करने हेतु यह आवश्यक है कि प्रार्थी प्रथम दृष्टया (Prima Facie) मामला, सुविधा का संतुलन (Balance of Convenience) एवं अपूरणीय क्षति (Irreparable Loss) सिद्ध करे।

अभिलेखों से यह स्पष्ट है कि विवादित भूमि सहखातेदारी की है तथा अन्य सहखातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया गया है, जिससे प्रार्थी का एकाधिकार प्रथम दृष्टया स्पष्ट नहीं होता। यह भी स्पष्ट नहीं है कि प्रस्तावित विद्युत लाइन वास्तव में प्रार्थी की भूमि में नवीन रूप से स्थापित की जा रही है अथवा पूर्व से विद्यमान व्यवस्था का ही पुनर्संयोजन है। प्रार्थी द्वारा ऐसी कोई

सहायक कलक्टर (फा0ट्रे0)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई जिससे यह स्थापित हो सके कि उसे अपूरणीय क्षति होगी या सुविधा का संतुलन उसके पक्ष में है। दूसरी ओर, विद्युत आपूर्ति जैसी सार्वजनिक उपयोगिता सेवा में अनावश्यक हस्तक्षेप न्यायोचित प्रतीत नहीं होता, जब तक कि स्पष्ट अवैधता सिद्ध न हो।

निष्कर्ष

उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि प्रार्थी अस्थाई निषेधाज्ञा प्रदान करने हेतु आवश्यक तत्व—प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति—सिद्ध करने में असफल रहा है।

आदेश

उक्त विवचेन के अनुसार प्रार्थी का आदेश 39 नियम 1 व 2 सी.पी.सी. सहपठित धारा 151 सी.पी.सी. एवं धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त (खारिज) किया जाता है।

यह आदेश आज दिनांक 24.03.2026 को मेरे द्वारा लिखायी जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सृष्टि जैन) सहायक कलक्टर (फा०ट्रे०)
सहायक कलक्टर मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)
मुण्डावर, खैरथल तिजारा, राज0